ई-मेल

शीर्ष प्राथमिकता/अतिमहत्वपूर्ण

संख्या- 46/2026/आई/1268716/2026/16-3099/12/2019

प्रेषक,

नरेन्द्र भूषण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांकः 17 मार्च, 2026

विषय- डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में कामगारों (Working Professional) के प्रवेश हेतु नीति निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-I/502981/ई-ए0आई0सीट0टी0ई0 (अंशकालीन), दिनांक 12.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-प्राशिप/परिषद/प्रस्ताव/2026/8415, दिनांक 11.03.2026 की प्रति सहित डिप्लोमा पाठ्यक्रम में कामगारों के लिए सत्र 2026-27 से आगामी वर्षों में प्रवेश हेतु नीति-निर्धारण संबंधी प्रस्ताव किया गया है।

2- आपके उपर्युक्त पत्र दिनांक 12.03.2026 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की वर्तमान अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, अर्थव्यवस्था को 1.0 ट्रिलियन बनाने एवं उद्योगों में कार्यरत कार्मिकों की दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न उद्योगों में कार्यरत कामगारों (Working Professional) को ए०आई०सी०टी०ई० के सर्कुलर संख्या-AICTE/P&AP/APH/2023-24/02, दिनांक 24.08.2023 के प्राविधानों के अन्तर्गत राजकीय/अनुदानित/निजी पालीटेक्निक संस्थाओं में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शासनादेश संख्या-117/2024/आई/786412/2024/16-3099/12/2019 दिनांक 05.11.2014 की व्यवस्था को अवक्रमित करते हुए सत्र 2026-27 से आगामी वर्षों में प्रवेश हेतु निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः-

डिप्लोमा पाठ्यक्रम में कामगारों (Working Professional) के लिए प्रवेश हेतु नीति

1.पाठ्यक्रम का नामः- तीन वर्षीय (अंशकालीन) डिप्लोमा इन इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रम (वर्किंग प्रोफेशनल)

2. पाठ्यक्रमः- लेटरल इन्ट्री में लागू पाठ्यक्रम के अनुरूप

3. पाठ्यक्रम की अवधिः- 02 वर्ष

4. पाठ्यक्रम की संख्याः- प्रति संस्थान अधिकतम 03 पाठ्यक्रम (AICTE मानकानुसार)

5. प्रवेश क्षमता प्रति पाठ्यक्रमः- AICTE द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता

6. न्यूनतम प्रवेश संख्याः- प्रत्येक पाठ्क्रम में स्वीकृत प्रवेश क्षमता का एक तिहाई संख्या में प्रवेश अनिवार्य होगा। पाठ्यक्रम संचालन हेतु ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित न्यूनतम अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण होने के उपरान्त ही संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रवेश लिया जायेगा (उदाहरण स्वरुप यदि ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा किसी संस्था के कामगारों हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम में अनुमोदित सीटों की संख्या 30 है तो उस संस्था के कामगारों हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 10 प्रवेश होना अनिवार्य है)।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. अहर्ता:-

i) कामगारों के प्रवेश हेतु शैक्षिक अर्हता लेटरल इन्ट्री के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के समान होगी।

ii) प्रवेश हेतु आवेदन के समय कामगारों को कम से कम 01 वर्ष का औद्योगिक अनुभव होना अनिवार्य है (AICTE मानकानुसार)।

8. सीटों का स्वरूप:-

कामगारों हेतु स्वीकृत समस्त सीटें सुपरन्यूमेरेरी प्रकृति की होंगी, जो अनुमोदित प्रवेश क्षमता से अतिरिक्त होंगी।

9. प्रवेश के लिए पात्रता:-

केन्द्र/राज्य सरकार के उद्योगों, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड एवं एम०एस०एम०ई० पंजीकृत उद्योगों में कार्यरत ऐसे कार्मिक जिनका उद्यम प्रवेश के लिए आवेदित संस्था से दूरी 50 कि०मी० त्रिज्या में स्थित हो।

10. मेरिट का निर्धारण:-

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा कामगारों की मेरिट का निर्धारण अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता एवं कार्यानुभव के आधार पर किया जाएगा। हाईस्कूल के समकक्ष योग्यता में प्रथम श्रेणी के लिए 50 अंक, द्वितीय श्रेणी के लिए 40 अंक तथा तृतीय श्रेणी के लिए 30 अंक प्रदान किए जाएंगे। इंटरमीडिएट अथवा आई०टी०आई० उत्तीर्ण होने पर 10 अंक दिए दिए जाएंगे। कार्यानुभव के अंतर्गत एक वर्ष से अधिक एवं दो वर्ष से कम अनुभव होने पर 10 अंक प्रदान किए जाएंगे तथा प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 05 अंक दिए जाएंगे, जो अधिकतम 30 अंकों तक सीमित होंगे। इस प्रकार मेरिट के निर्धारण हेतु अधिकतम अंक 100 होंगे।

11. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता:-

(1)- प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध संस्थाओं में ही कामगारों हेतु पाठ्यक्रमों का संचालन किया जायेगा।

(2)- पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता / विस्तार हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा यू-राईज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा। यू-राईज पोर्टल के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम (ऑफलाइन/ऑनलाइन) से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(3)- प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत कामगारों हेतु नियामक संस्था द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों को सम्बद्ध/विस्तार किया जायेगा।

(4)- आवेदक संस्था द्वारा पाठ्यक्रम संबद्धता हेतु यू-राईज पोर्टल पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित किये गए संबद्धता शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करते हुए निम्नलिखित अभिलेख ऑनलाइन आवेदन करते समय यू-राईज पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(i) नियामक संस्था (ए०आई०सी०टी०ई०) द्वारा कामगारों हेतु निर्गत अनुमोदन/विस्तार।

(ii) कामगारों के पाठ्यक्रम संचालन हेतु सम्बंधित सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा निर्गत संकल्प पत्र।

(iii) कामगारों के पाठ्यक्रम संचालन हेतु प्रधानाचार्य एवं फैकल्टी का विवरण (नियुक्ति पत्र, नाम, ब्रांच, योग्यता, अनुभव, आधार एवं पैन)।

(5)- प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा यू-राईज पोर्टल पर आवेदित संस्थानों का परीक्षण कर सीट मैट्रिक्स तैयार कर संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जायेगी।

12. प्रवेश प्रक्रियाः-

(1)- प्रवेश हेतु इच्छुक कामगारों/आवेदकों के प्रवेश सम्बन्धी प्रक्रिया संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न करायी जाएगी।

(2)- प्रदेश के समस्त संस्थाओं में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों जिनमें प्रवेश सीधे द्वितीय वर्ष में उद्योगों केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी/एम०एस०एम०ई० में पंजीकृत, उद्योगों के ऐसे कार्मिकों/कामगारों (Working Professional) को जो पूर्णकालिक रूप से कम से कम 01 वर्ष से उद्योग में कार्यरत हों तथा ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित मानकों/शैक्षिक अर्हता को पूर्ण करते हो, के लिए प्रवेश मेरिट के आधार पर ए०आई०सी०टी०ई० के प्राविधानों के अन्तर्गत अनुमन्य होगा। ये सीटें अनुमोदित प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त होंगी, जिनमें प्रवेश आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए दिया जायेगा। कक्षाएँ अतिरिक्त समय (प्रातः सायं काल एवं साप्ताहिक अवकाश) में संचालित की जाएगी।

(3)- आरक्षण व्यवस्था

(i) उत्तर प्रदेश सरकार की आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।

(ii) प्रत्येक संस्थान में एक (01) सीट केंद्र सरकार के विभागों/संगठनों में कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु केवल मेरिट के आधार पर आरक्षित होगी।

(iii) केंद्र सरकार का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर सीट सामान्य वर्ग में परिवर्तित होगी।

(4)- प्रवेश हेतु विज्ञापन, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित कराया जायेगा।

(5)- संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा इच्छुक कामगारों/आवेदकों से पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर प्रपत्रों का परिक्षण कर प्रवेश समिति का गठन करते हुए संस्थावार मेरिट लिस्ट जारी करेगी एवं प्रवेश प्रक्रिया कराएगी।

(6)- संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत प्रवेशित छात्र/छात्राओं की सूची प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश को ऑनलाइन उपलब्ध करायी जाएगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13. कामगारों हेतु शुल्क निर्धारणः-

राजकीय/अनुदानित/निजी/पी.पी.पी. पॉलिटेक्निक संस्थाओं में उपर्युक्त पाठ्यक्रम स्व वित्तपोषित आधार पर चलाया जायेगा।

(1)- राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेशित कामगारों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क नियमित छात्रों हेतु निर्धारित शुल्क के समान देय होगा।
(2)- अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेशित कामगारों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क स्ववित्तपोषित छात्रों हेतु निर्धारित शुल्क के समान देय होगा।
(3)- निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेशित कामगारों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क निजी क्षेत्र की संस्थाओं के छात्रों हेतु निर्धारित शुल्क के समान देय होगा।

14. फैकेल्टी की उपलब्धताः-

वर्तमान में संस्थाओं में कार्यरत फैकेल्टी एवं अतिथि फैकेल्टी के माध्यम से पाठ्यक्रम का संचालन किया जायेगा, जैसा कि ए०आई०सी०टी०ई० एप्रूवल प्रोसेस हैण्डबुक 2024-25 से 2026-27 में भी उल्लिखित किया गया है।

15. पाठ्यक्रम का संचालनः-

(i) कक्षाएं सायंकालीन अथवा उद्योग अनुकूल लचीले समय से संचालित होंगी।
(ii) अतिरिक्त अवसंरचना आवश्यक नहीं होगी।
(iii) उपलब्ध अवसंरचना (Infrastructure) प्रयोग की जा सकेगी।

16. कामगारों के प्रवेश हेतु ए०आई०सी०टी०ई० अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक में दिए गये निर्देशों एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाना बाध्यकारी होगा।

17. समय सारिणीः-

यू-राईज पोर्टल पर परिषद से सम्बद्ध संस्थाओं को कामगारों हेतु अनुमोदित पाठ्यक्रमों को सम्बद्धता / विस्तार हेतु आवेदन करने की अवधि	01 जनवरी से 31 मई
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा कामगारों की प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करने की अवधि	01 जून से 20 जून
प्रवेश प्रक्रिया के उपरान्त संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रवेशित छात्रों का डेटा उपलब्ध कराने की अवधि	21 जून से 30 जून

कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

नरेन्द्र भूषण
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या व तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवगतार्थ।
3. सदस्य सचिव, ए0आई0सी0टी0ई0, नई दिल्ली को उनके सर्कुलर संख्या-AICTE/P&AP/APH/2023-24/02, दिनांक 24.08.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ।
4. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।(द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा)
7. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश। (द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा)
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। (द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा)
11. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय/अनुदानित पालीटेक्निक संस्थान, उत्तर प्रदेश। (द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा)
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विनोद कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।